मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2014 (फाल्गुन 14, 1935)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री मधुकर मरमट, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, तथा

(ख) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश का वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 2012-2013,

पटल पर रखेंगी.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, पन्ना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत ऋण वितरण में आर्थिक अनियमितता के दोषियों पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र वर्मा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इंदौर सहित अन्य नगरों के छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मुकेश नायक, जीतू पटवारी, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, सतना जिले के कोलगवां थाने की पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन स्थित बंद कपड़ा मिल के मजदूरों को उनके स्वत्वों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर में जर्जर टंकियों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री जालम सिंह, सदस्य, जबलपुर एवं होशंगाबाद संभाग में कृषकों को फसल बीमा की राशि न दिये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले में लोक सेवा गारंटी योजना के तहत गरीबी रेखा के परमिट जारी किये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत ललपुर में कपिलधारा कूप निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, जबलपुर से लखनादौन तक सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा कम दर से दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में स्वाईन फ्लू नामक बीमारी फैलने की स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के दिमनी क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम टोंकी में सीमेंट उद्योग हेतु उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले में वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के-
(क) ग्राम पंचायत खेड़ामेवादा मजरा बरी का पुरा में कन्या शाला प्रारंभ किये जाने,
(ख) ग्राम रतने का पुरा में खरंजा एवं नाली स्वीकृत किये जाने,
(ग) ग्राम मुड़ियाखेड़ा की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम छत्त के पुरा के प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(ङ) ग्राम लालौर के हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(च) ग्राम बाबरीपुरा की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(छ) ग्राम मुड़ियाखेड़ा की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
(ज) ग्राम गोपी के माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(झ) ग्राम जौहा के प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के-
(क) ग्राम भरडावदा अहिरवार मोहल्ले में सी.सी.रोड निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम गरोड़ा हरिजन बस्ती मे सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(ग) शहर के दत्त मंदिर मार्ग पर सी.सी.रोड निर्माण किये जाने,
(घ) शहर में नवीन कलेक्टर भवन बनवाये जाने,
(ङ) शहर के वार्ड क्र. 37 नरसिंहपुरा कुमावत धर्मशाला मार्ग पर डामरीकरण किये जाने,
(च) ग्राम कोचवी से धतरावता मार्ग का डामरीकरण किये जाने ,
(छ) ग्राम पंचायत गरोड़ा से अकोदड़ा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ज) शहर मे इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने,
(झ) ग्राम पंचायत दलौदा रेल से घुघड़का तक पक्की सड़क निर्माण किये जाने,
(ञ)शहर के विक्रम विश्वविद्यालय का उप कार्यालय खोले जाने,
(ट) ग्राम पंचायत पटेला में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
(ठ) ग्राम देवड़ा मुख्य मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के-
(क) वार्ड क्र. 16 की नालों की सफाई एवं खम्बों की लाईट ठीक किये जाने,
(ख) वार्ड नं.-12, में नालिया का निर्माण किये जाने,
(ग) विधायक निधि से बने प्याउ को ठीक किये जाने,
(घ) पुराने शहर में साफ-सफाई की व्यवस्था किये जाने,
(ङ) वार्ड क्र. 7 में साफ-सफाई की व्यवस्था किये जाने,
(च) भोपाल, सीहोर, रायसेन की मस्जिदों के इमाम- मौअज्जिन साहेबान को वेतन दिलाये जाने, तथा
(छ) वार्ड क्र. 14 के नालों की साफ सफाई किये जाने,

(4) कुँवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) तह. राजनगर खजुवा भुलेरापुरवा तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
(ख) तह. राजनगर चतुर्भुज मंदिर जटकरा से कुदरपुरा तक रोड निर्माण किये जाने,

(5) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के-
(क) मैहर तह. अन्तर्गत राजस्व मंडल मुख्यालय अमदरा मे महाविद्यालय खोले जाने,
(ख) मैहर तह. अन्तर्गत लंबित शारदा सागर बांध परियोजना को पूर्ण कराये जाने,
(ग) ग्राम सुकवारी से सुलखमा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम सोनवर्षा में पहुँच मार्ग निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम बड़ारी से जुड़वानी तक मार्ग एवं पुलिया निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम बड़ारी से सुकवारी तक मार्ग एवं पुलिया निर्माण किये जाने,
(छ) ग्राम बड़ारी से जोवा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(ज) मुख्यालय बड़ेरा में महाविद्यालय खोले जाने,तथा
(झ) ग्राम डेल्हा, करइया मार्ग को खरमखेड़ा तक जोड़े जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के-
(क) ग्राम नरयावली में स्टेडियम स्वीकृत किये जाने,
(ख) ग्राम कर्रापुर वि.ख.सागर में सामु. स्वा. केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
(ग) ग्राम खेड़ा में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने,
(घ) ग्राम सडेरी,बेरखेड़ी,गंगाराम में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने,तथा
(ङ) ग्राम पंचायत गुड़ा विकासखण्ड सागर में हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(7) श्री तुकोजीराव पवार, सदस्य, देवास जिले के
(क) ग्राम अकालिया में छोटीकाली सिंध नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम बालाखेड़ी में छोटी कालीसिंध नदी पर कटिपाल नामक सिंचाई, बेरेज(डेम) निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम पटलावदा नेवरी एवं जवासिया में नव निर्मित स्कूल भवन की जांच कराये जाने, तथा
(घ) ग्राम निपान्या में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(8) श्री हितेन्द्रसिंह ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के नगर बड़वाह में आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की स्वीकृति कराये जाने,

(9) श्री वेल सिंह भूरिया, सदस्य, धार जिले के आदिवासी विकास खण्ड सरदारपुर के सभी ग्रामों में फीडर सेपरेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण काराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री –

(i) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति देने,

(ii) लोक निर्माण विभाग में भवन निर्माण के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) का प्रत्येक जिले में गठन एवं राज्य तथा परिक्षेत्र स्तर पर पदों की संरचना कर सुदृढ़ीकरण, तथा

(iii) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों हेतु निजी वास्तुविदों/सलाहकारों से वास्तुविदीय सेवाएं लेना एवं अधीक्षण यंत्रियों को वित्तीय/तकनीकी अधिकार सौंपने,

के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में चर्चा .... (क्रमश:)

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 4 मार्च, 2014